

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक /रीडर/ 2021/

दिनांक 12-02-2024

13
मुकदमा नंबर 185/2020

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. घमण्डाराम पुत्र रूपाराम जाति मंगवाल 2. खेताराम पुत्र रूपाराम जाति मंगवाल 3. लेहरोदेवी पत्नी रूपाराम जाति मंगवाल 4. हुकमाराम पुत्र फुआराम जाति मंगवाल 5. धारूराम पुत्र फुआराम जाति मंगवाल निवासीयाना धर्मसर ग्राम पंचायत घडोई नाडी तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर		1. मुलाराम पुत्र हेमाराम जाति मंगवाल 2. संरपंच / ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत डडोई नाडी तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 3. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार पचपदरा

आदेश

दिनांक 12-02-2024


उपर्युक्त प्रकरण मौजा धर्मसर पटवार हल्का कल्याणपुर में खसरा नंबर 115/62 रकबा 01 बीघा 07 सरहद विवादित खसरा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगढ़ी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के अद्वेनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमीशनर शुल्क रूपर्य 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपर्य मात्र निर्धारित की जाती हैं, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें

(नरेश सोनी)
उपसहायक अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

क्रमांक /रीडर/ 2021/

दिनांक 12-02-2024

- 14-10
1. तहसीलदार पचपदरा पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
 2. सम्बन्धित थानाधिकारी पुलिस थाना को पालना हेतु
 3. पटवारी धर्मसर पटवार क्षेत्र कल्याणपुर तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर। को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि का मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
 4. प्रार्थीगण घमण्डाराम पुत्र रूपाराम जाति मंगवाल निवासीयाना धर्मसर ग्राम पंचायत घडोई नाडी तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
 5. विप्रार्थीगण मुलाराम पुत्र हेमाराम जाति मंगवाल निवासीयाना धर्मसर ग्राम पंचायत घडोई नाडी तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर


उपसहायक अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा